संख्या- 12 /2017/ 704 ई-2/तेरह-2017- 101/2015

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 13 अप्रैल, 2017

विषय : वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-154 /दस- लाइसेंस-41/होलोग्राम टेण्डर/ 2016-17 दिनांक 09 अप्रैल, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 09 अप्रैल, 2017 में किये गये अनुरोध एवं प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या- 843 ई-2/तेरह-2013-233/2000 दिनांक 15-05-2013, शासनादेश संख्या- 35/2016/ 1236 ई-2/तेरह-2016-101/2015 टीसी, दिनांक 15-06-2016, शासनादेश संख्या- 56/2016/ 2041 ई-2/तेरह-2016-101/2015 टीसी, दिनांक 16-09-2016, शासनादेश संख्या- 80/2016/ 2647 ई-2/तेरह-2016-101/2015 टीसी, दिनांक 16-12-2016 तथा शासनादेश संख्या- 07/2017/ 459 ई-2/तेरह-2017-101/2015, दिनांक 16-03-2017, के क्रम में सुरक्षा होलोग्राम की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु राजस्व हित एवं विशेष परिस्थिति में वर्तमान सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक मेसर्स यूफ्लैक्स लि0, ए-1, सेक्टर-60, नोएडा, गौतमबुद्धनगर का कार्यकाल टेण्डर एवं अनुबन्ध पत्र में निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं दरों पर दिनांक 17-04-2017 से आगामी एक माह अर्थात् दिनांक 16-05-2017 तक बढ़ाये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार तिवारी
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।